न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 683/2023

अनवानः–

1. साजन राम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम

1. मुन्शीराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. मनोहरी पत्नी महावीर जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. बिमला पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 16/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता संख्या 84/87 के ख0न0 148/1 की 0.2910 हैक्ट ख0न0 154/1 की 5.8700 हैक्ट कुल 6.1610 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 168/505 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 अकेला 4098/12322 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 अकेला 7969/61610 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 अकेली 1265/6161 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी एवं प्रतिवादीगण की उक्त वाद भूमि मुश्तरका दर्ज है। वाद भूमि मुश्तरका खाता की होने के कारण वाद भूमि को लेकर सीव लगान का झगड़ा रहता है तथा काश्त के संबंध में भी झगड़ा रहता है इसलिए वादी अपना खाता व लगान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 से अलग करवाना चाहता है।

प्रतिवादी स0 3 पर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर का स्थगन आदेश है तथा वादी के हक व हिस्से पर किसी प्रकार का स्थगन नही है तथा वादी अपना खाता व लगान अलग अलग करवाकर उस पर कार्य करना चाहता है। परन्तु प्रतिवादी स0 1 ता 3 अपना खाता व लगान अलग अलग करवाने को तैयार नही है इसलिए वादी केवल मात्र अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की उक्त भूमि का खाता व लगान अलग से तकसीम करवा ले तो पहले तो आजकल आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये। इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ता 3 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है तथा पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया की रोही मौजा मालिया के ख0न0 148/1/3 की 0.07275 हैक्ट, ख0न0 154/1/3 की 1.97685 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज की जावें एवं रोही मौजा मालिया के ख0न0 148/1/2 की ... हैक्ट, ख0न0 154/1/2 की 1.97675 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम ... के ख0न0 148/1/1 की 0.1455 हैक्ट, ख0न0 154/1/1 की ... प्रतिवादीगण संख्या 3 ... नाम बहिब दर्ज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल व पक्षकारान का राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात बहस सुनी गई।

दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया वाद भूमि का मुताबिक कब्जा काश्त एवं हक हिस्सा के अनुसार खाता व लगान अलग अलग किया जावे। वादी के वाद के संबंध में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है एवं पक्षकारान के द्वारा राजीनामा भी पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता संख्या 84/87 के ख0न0 148/1 की 0.2910 हैक्ट ख0न0 154/1 की 5.8700 हैक्ट कुल 6.1610 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 168/505 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 अकेला 4098/12322 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 अकेला 7969/61610 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 अकेली 1265/6161 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहखातेदारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। संयुक्त खाते का कोई भी सहखातेदार काश्त की सुविधा को देखते हुए अपने रिकार्ड में धारित रकबे की हद तक अच्छी मंदी भूमि को ध्यान में रखते हुए खाता व लगान अलग करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है तथा पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी पक्षकारान की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 84/87 की कुल 6.1610 हैक्ट भूमि मे ख0न0 148/1/3 की 0.07275 हैक्ट, ख0न0 154/1/3 की 1.97685 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा मालिया के ख0न0 148/1/2 की 0.07215 हैक्ट, ख0न0 154/1/2 की 1.97675 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा मालिया के ख0न0 148/1/1 की 0.1455 हैक्ट, ख0न0 154/1/1 की 1.9164 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजीरय नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 10/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:47 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 683/2023

अनवान:–

1. साजन राम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. मुन्शीराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. मनोहरी पत्नी महावीर जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. बिमला पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 683 सन 2023 निर्णय दिनांक.....16/10/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी व पेरोकार राज की उपस्थिति निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी पक्षकारान की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 84/87 की कुल 6.1610 हैक्ट भूमि मे ख0न0 148/1/3 की 0.07275 हैक्ट, ख0न0 154/1/3 की 1.97685 हैक्ट भूमि वादी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा मालिया के ख0न0 148/1/2 की 0.07215 हैक्ट, ख0न0 154/1/2 की 1.97675 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा मालिया के ख0न0 148/1/1 की 0.1455 हैक्ट, ख0न0 154/1/1 की 1.9164 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीय नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...16/10/23... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:47 IST
Reason: SelfAttested